सांचिका सं०- भवन-12/अभि०प्र०(यो०)-02-विविध-04/2021

(515)

पत्रांक- 5707(भ0) अनु0

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

कुमार रवि,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
सभी मुख्य अभियंता(विद्युत सहित),
भवन निर्माण विभाग, पटना।

पटना, दिनांक 14/07/2023

विषयः- **निर्माण कार्य के विभिन्न कार्य मदों में विचलन के संबंध में ।**

महाशय,

उपरोक्त विषय में प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान या कार्य समाप्ति के उपरांत कतिपय मदों की मात्राओं में विचलन के अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा रहे हैं। मुख्यतः निम्नांकित कार्य मदों के मात्राओं में विचलन के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं :-

1. Reinforcement की मात्राओं में अत्याधिक वृद्धि होना।
2. निर्माण स्थल का काफी नीचे होने के कारण मिट्टी आदि भराई के मात्राओं में अप्रत्याशित वृद्धि होना।
3. प्लींथ लेवल में वृद्धि के कारण संबंधित कार्य मदों यथा- आर0सी0सी0, ब्रीक वर्क, लोकल सैंड आदि के मात्राओं में वृद्धि होना।
4. कार्य के दौरान कतिपय कार्य मदों में परिवर्तन करना।
5. तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन में वर्णित कार्य मदों की मात्रा में वृद्धि या कमी।
6. परिसर विकास, पहुँच पथ एवं चहारदिवारी की वास्तविक लम्बाई मूल प्राक्कलन में नहीं होना।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भी कतिपय कार्य मदों में विचलन के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। 20% से अधिक के विचलन का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष लाये जाते हैं।

5/14

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि कार्य मदों के मात्राओं में विचलन को कम से कम किया जाय ताकि कार्य के उपरांत कार्य मदों के मात्राओं में होने वाले अत्यधिक विचलन से बचा जा सके। इसके लिए निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये जाते हैं:-

1. प्राक्कलन तैयार करते समय प्रत्येक कार्य मदों की मात्राओं की गणना अत्यंत सावधानीपूर्वक की जाय।
2. योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राक्कलन गठन के समय निम्नांकित कार्य निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाय :-
   - I. कार्य स्थल का विस्तृत सर्वे, कंटूर प्लान, प्री-लेवल आदि निश्चित रूप से तैयार कर ली जाय, ताकि कार्य स्थल के अनुसार मिट्टी भराई एवं प्लींथ लेवल आदि का निर्धारण किया जा सके।
   - II. विस्तृत निरूपण के अनुसार Bar Bending Schedule तैयार कर Reinforcement की मात्राओं की गणना की जाय।
   - III. प्राक्कलन तैयार करते समय Stone Chips, Coarse Sand, Local Sand एवं मिट्टी आदि का वास्तविक ढुलाई से संबंधित लीड पताकर ढुलाई का दर निर्धारित की जाय।
   - IV. परिसर विकास, पहुँचपथ एवं चहारदीवारी की वास्तविक लंबाई की मापी कर प्राक्कलन में प्रावधान किया जाय।
3. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार के परिवर्तन अगर अपरिहार्य हो तो उसकी सूचना उक्त परिवर्तन के प्रभाव के साथ सक्षम प्राधिकार को अवश्य दी जाय एवं उसका अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
4. कार्य के दौरान विशेष परिस्थिति में ही स्वीकृत विशिष्टियों में परिवर्तन की जाय। किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना सक्षम प्राधिकार को देते हुए अनुमोदन प्राप्त कर ली जाय।

कई पूर्ण योजनाओं के कतिपय मदों में 20 प्रतिशत से अधिक विचलन की स्वीकृति हेतु निविदा समिति के समक्ष प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार के

513

विचलन प्रस्ताव की समीक्षा हेतु अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में निम्न प्रकार समिति गठित की जाती है :-

अभियंता प्रमुख	-	अध्यक्ष
मुख्य अभियंता (गुणवत्ता अनुश्रवण)	-	सदस्य
मुख्य अभियंता (निरूपण)	-	सदस्य
दक्षिण उपभाग से संबंधित विषयों के लिए मुख्य अभियंता(उत्तर)	-	सदस्य
उत्तर एवं पटना उपभाग से संबंधित विषयों के लिए, मुख्य अभियंता(दक्षिण)	-	सदस्य

उपर्युक्त समिति विचलन हेतु प्राप्त प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा कर विचलन का औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

विश्वासभाजन

14/7/23

(कुमार रवि)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 5707(भ) अनु0 पटना, दिनांक- 14-07-2023

प्रतिलिपिः-आई0टी0मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/7/23

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव